



### Key Indicator- 4.4 Maintenance of Campus Infrastructure.

4.4.2. There are established system and procedures for maintaining and utilizing physical, academic and support facilities – laboratory, library, sports complex, computer, classroom etc.

First we look the cleanliness our campus :-

S. no.	Name of employ	Regular/J.B.S	Cleanliness Timing		Signature
1	Raja singh Rajput	Regular	09:30 am	04:30pm	
2	Vikash kumar	Regular	12:00 pm	02:30 pm	
3	Kushal Patel	J.B.S.	08:00 am	05:00 pm	
4	Khilendra Kumar	J.B.S.	08:00 am	05:00 pm	

Water Purifier maintained time 2 Time :-



*Dinesh*  
Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

**Academic & support facilities: -**

S.no.	Support Facilities
1	Projector
2	Wi-Fi
3	Computer
4	CCTV Camera
5	Anti various
6	Printer

**3. Maintenance of laborite & Sport's Facilities.**

S.no.	Employ's	Post level	
1	Devprabha Sahu	3 <sup>rd</sup> class	Lab Technician
2	Dumendra Nayak	4 <sup>th</sup> class	Lab Attendant



*Dumendra*  
Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा,

जिला दुर्ग छ. ग. ४

// नियुक्ति आदेश //

दिनांक.....

क्रमांक /2010/ लिखित परीक्षा के बाद बने चयन सूची के आधार पर श्री/श्रीमती/

राजा सिंह/ अशोक सिंह पता. ग्राम बगदई, पो./ तह. डोंगरगांवको मुंत्य पद पर वेतनमान रु.....

4750-7440 ग्रेड पे रु. जिला राजनादगाव छ. ग. ४ में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्न शर्तों के अर्ध

कार्यभार ग्रहण के दिनांक से नियुक्त किया जाता है:-

1. यह नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा के आधार पर होगी, दो वर्ष में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त कर नियमित किया जा सकेगा।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं अस्थायी नियुक्ति के दौरान उनकी अस्थायी सेवाएं किसी भी सम किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से बिना नोटिस दिये सेव छोड़ दी है।
3. उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त दो को अन्तर्गत दिये स्वयं उस व्यक्ति से भू-संजख की वकालत की भांति वसूली की जावेगी।
4. उक्त आदेश में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 24/सी-274/वित्त/नियम/चार/2006, दिनांक 27.1.2006 तथा वित्त विभाग के ज्ञाप क. 31/सी-2742/वित्त/नियम/चार/2006, में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1.11.2004 से लागू "अंशदायी पेंशन योजना" लागू होगी।
5. आप की नियुक्ति चरित्र सत्यापन/मेडिकल बोर्ड से उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। चरित्र सत्यापन में अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं स्वयं समाप्त भानी जावेगी।
6. अ/कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवें, अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।

MB

(14)



Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, खेरथा  
जिला दुर्ग उ.ग. १

// नियुक्ति आदेश //

दिनांक.....

क्रमांक /2010/ लिखित परीक्षा के बाद बने चयन सूची के आधार पर श्री/श्रीमती/कु  
विकास / भागवत प्रसाद पता ग्राम मनकी पो. अर्जुन्दा, को भूतय पद पर वेतनमान रु.....  
तह. डोंडी लोहारा दुर्ग उ.ग.  
4750-7440 ग्रेड पे रु. 1300.00 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्न शर्तों के अधीन  
कार्यभार ग्रहण के दिनांक से नियुक्त किया जाता है:-

1. यह नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा के आधार पर होगी, दो वर्ष में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही परिवीक्षा अवधि समाप्त कर नियमित किया जा सकेगा।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं अस्थायी नियुक्ति के दौरान उनकी अस्थायी सेवाएं किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है।
3. उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त दो के अन्तर्गत दिये रकम उस व्यक्ति से भू-सजस्व की बकाया की भांति वसूली की जावेगी।
4. उक्त आदेश में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 24/सी-274/वित्त/नियम/चार/2006, दिनांक 27.1.2006 तथा वित्त विभाग के ज्ञाप क. 31/सी-2742/वित्त/नियम/चार/2006, में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1.11.2004 से लागू "अश्वायी पेंशन योजना" लागू होगी।
5. आप की नियुक्ति चरित्र सत्यापन/मेडिकल बोर्ड से उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। चरित्र सत्यापन में अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
6. अ/कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवें, अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।



Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

आपके द्वारा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग) सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो आपको बिना किसी के सेवा से पृथक कर दिया जावेगा, जिसका उत्तरदायी आप स्वयं होंगे तथा आपके विरुद्ध भारतीय संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी।

7. यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा जाति प्रमाण-पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित कि जाने के अध्यक्षीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से संबंधित होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताये तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
8. उपर्युक्त नियुक्ति अन्य आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षाओं की जाती है। यदि आपने अभी तक जो जानकारी दी है, वह असत्य पाई जाती है तो भी आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
9. उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
10. यह नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आवरण) नियम 1965 द्वारा शासित होंगे।
11. प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त पद के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण के नियमों एवं आदेशों का पालन किया है एवं रोस्टर संधारित किया गया है।

(डॉ. र. के. मण्डारी)

प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, दुर्ग, छ.ग.।  
अतिरिक्त प्रभार केरथा दिनांक 02-09-2010

पृष्ठांकन क्रमांक/309/ 2010  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा.....
3. कोषालय अधिकारी.....
4. श्री विकारा/श्रीभारत प्रसाद पता राय-मन्त्री पो. अर्जुन्दा जिला दुर्ग
5. संबंधित की व्यक्तिगत नरती में रखने हेतु।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



PRINCIPAL  
GOVT. COLLEGE ARJUNDA,  
DURG (C.G.)  
अतिरिक्त प्रभार केरथा

*Arjun*  
Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय खेरथा,

विषय :- जनभागीदारी मद में सेवा प्रदाय करने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांगत मैं प्रणोद बाल कर्सेल पिता श्री भोजराम कर्सेल निवासी खामतराई पोष्ट पिनकापार जिला बालोद का हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता 12 उत्तीर्ण हैं साथ ही मैंने D.C.A की परीक्षा उत्तीर्ण की हैं।

अतः निवेदन है कि मुझे महाविद्यालय में सेवा प्रदाय करने की कृपा करें। इस हेतु मेरी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंकसूची अभिप्रमाणित संलग्न हैं।

संलग्न :-

1. दसवीं उत्तीर्ण अंकसूची
2. बारहवीं उत्तीर्ण अंकसूची
3. D.C.A. उत्तीर्ण अंकसूची
4. I.T.I उत्तीर्ण अंकसूची
4. जति प्रमाण पत्र
5. निवासी प्रमाण पत्र
6. रोजगार कार्यालय पंजीयन पत्र

प्रार्थी *Praseel*

प्रणोद बाल कर्सेल  
ग्राम - खामतराई  
पो. पिनकापार



Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

प्रति

श्री मान प्रोग्राम मरीदम जी  
शासकीय महाविद्यालय खैरमा  
जिला - पुर्ग

विषय :- गौरीधर हेतु आवेदन पत्र  
मरीदम जी

विषय-संबंधी लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा के  
अनुसार आवेदन महाविद्यालय में गौरीधर की  
~~पर आवेदन~~ ~~है~~ अतः मैं इस पद  
आवश्यकता है। हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अतः मरीदम जी से विवेक है कि  
मुझे इस पद पर सेवा देने का मौका देकर  
यासीम रूपा करेंगे।

मुझसे संबंधित जमात ऑफिसियल संख्या  
एवं आवेदन प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ  
संलग्न है।

संलग्न जमात पत्र

- 1) दसवीं प्रमाणपत्र
- 2) बारहवीं प्रमाणपत्र
- 3) जाति प्रमाण पत्र
- 4) विवाह प्रमाण पत्र

आवेदक

शुभल कुमार

ग्राम - पीर - खैरमा बाजार  
तहसील - डी.डी. लीधरा  
जिला - पुर्ग (देवगढ़)

दिनांक  
8-11-2011

8/11/2011



Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)